अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 726/484 अप्रार्थीगण की अधिकार खातेदारी में संयुक्त रूप से नही है बल्कि सहखातेदारों के मध्य बटवारा प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व हो चुका है। जिसका नामान्तकरण संख्या 219 दिनांक 29.06.16 को तस्दीक किया जा चुका है। अप्रार्थीगण ने किन्ही अधिकारों का उल्लघंन कर शर्त भंग नही की है। प्रार्थी ने अपने पक्ष में मिथ्या साक्ष्य सृजित करने के उद्देश्य से अंकित किये है। अप्रार्थीगण ने कोई अवैध निर्माण नही किया है विवादित आराजी पर कोई रेस्टोरेन्ट नही है ना ही कभी रहा है ना ही प्लाटिंग किया किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वराये बदनीयती दुर्भावना पूर्वक गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रामजीलाल का निधन हो चुका है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही पोषणीय नही है। विवादित आराजी का बंटवारा राजस्व अभिलेख में हो चुका है। खसरा नम्बर 726/484/5 के आंशिक भाग पर आधा अधूरा निर्माण है शेष जगह खाली पडी है मौके पर अकृषि कार्य नही हो रहा है। 726/484/4 रकवा 19 विस्वा कुल रकवा खाली पडा है कोई निर्माण या अकृषि कार्य नही हो रहा है। 726/484/3 रकवा 12 विस्वा पर केवल सुरक्षा की दृष्टि से वाउण्डरी बाल बनी है कोई भवन निर्माण नही है 726/484/2 रकवा 6 विस्वा कुल रकवा मौके पर खाली है अकृषि कार्य नही हो रहा है कृषि कार्य हो रहा है। खसरा नम्बर 726/484/1 रकवा 10 विस्वा पर जनहित में जिला लोधी क्षत्रीय समाज धौलपुर का सामुदायिक भवन बना है। खसरा नम्बर 726/484/4 रकवा 19 विस्वा आंशिक भाग की भूमि रूपान्तरण पत्रावली नगर परिषद् धौलपुर में जमा करा दी है। उत्तरदाता भूमि रूपान्तरण फीस अदा करने हेतु तैयार है। खसरा नम्बर 726/484/5 रकवा 1 बीघा तथा खसरा नम्बर 726/484/03 की भूमि रूपान्तरण पत्रावली नगर परिषद् धौलपुर में प्रस्तुत कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का, जमाबन्दी सम्बत 2070–73 ग्राम दूं का पुरा पेश की अप्रार्थीगण ने साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित प्रति जमाबन्दी ख.नं. 726/484 सम्बत् 2070 ग्राम दूंका पुरा, नक्शा ट्रेस, रशीद नगर परिषद् धौलपुर श्रीमती भूरीदेवी, श्री भगवती, रामेश्वर,प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामजीलाल पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 726/484 रकवा 3–07 बीघा भूमि बांके ग्राम दूका पुरा पर पक्का निर्माण व पक्की वाउन्ड्री बना ली गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आराजी से बेदखल किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 177 आरटीए के दायरी के वक्त नई जमाबन्दी प्रस्तुत नही की गई है। मूल खसरा नम्बर 726/484 रकवा 5 बीघा 7 विस्वा का प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व ही बंटवारा हो चुका था जिसके इन्द्राजात राजस्व अभिलेख में इन्तकाल नं. 219 दिनांक 29.6.16 से किये जा चुके है। वर्तमान में पृथक पृथक खाते कायम किये जा चुके है इसलिए सभी अप्रार्थीगणो के विरूद्ध एक ही मुकदमा प्रस्तुत किया जाना पोषणीय नही है। विभिन्न एकान्तिक खातेदारों को एक ही कार्यवाही में नही जोडा जा सकता है। अप्रार्थी रामजीलाल की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है। जिसका अंकन अप्रार्थीगण के जवाब में किया गया है। प्रार्थी की ओर से कायम मुकाम की कार्यवाही नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वतः अवेट हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जावे।

दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रकरण अप्रेल 2017 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 06.11.2015 तथा जमाबन्दी सम्बत् 2070 से 2073 दिनांक 06.11.2015 की पेश की है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र दायरी के समय से लगभग 17 माह पूर्व की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव जमाबन्दी के आधार पर कार्यवाही की गई है। जो नियमानुासर उचित नही है। रिपोर्ट पटवारी हल्का में ख.नं. 726/484 में रकवा 3/07 बांके ग्राम दूंका पुरा में पक्की बाउन्ड्री व भूखण्ड काट दिया जाना अंकित किया है। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से जमाबन्दी सम्बत् 2070–2073 दिनांक 28.08.2017 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के मध्य प्रार्थी की ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही बंटवारा हो चुका है। तथा इ.नं. 219/29.06.2016 से रिकॉर्ड में अमल हो चुका है। वर्तमान में ख.न. 726/484 के नये बटा नम्बर बन चुके है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नही है कि निर्माण किस नम्बर पर हो रहा है तथा कौनसा नम्बर खाली है। प्रार्थी सरकार की ओर से नये नम्बर बनने के उपरान्त बदली हुई स्थिति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी रामजीलाल का निधन दिनांक 16.12.2017 को होना अपने जवाब में अंकित किया है जिसकी पुष्टि हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है। अप्रार्थी रामजीलाल के कायम मुकाम की कार्यवाही प्रार्थी द्वारा नही की गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही पोषणीय नही है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी. एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 30/05/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(भंवरलाल कांसोटिया)
उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर

9.4.17	वकील प्रतिवादीगण उप० / वकील वादी अनुज वादी की वारिश कमला ने मय शपथ पत्र प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसके पति श्री रामनाथ का देहान्त दि० 11/7/16 को हो चुका है न्यायालय में उसके पति की द्वारा वादपत्र बंटवारा व हुकम इम्तनाई दवामी का प्रस्तुत किया था। प्रार्थिया आगे कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहती है। प्रार्थिया वाद इसी स्तर पर खारिज किया करवाना चाहती है। अतः वारिश कमला ने वाद इसी स्तर पर खारिज करने का कथन किया है। वकील प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति नहीं की। अतः वादी के वारिस कमला की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो प्रकरण नम्बर से कम हो। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज)	नि.अ. कमला